

प्रेषक,

राहुल भटनागर,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2015

विषय:- ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंनयन की  
अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008 दिनांक 04 मई 2010 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों, जिसकी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित को लाभ स्वीकृत करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर 2014 निर्गत किया गया है द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से लागू की गयी ए0सी0पी0 की सामान्य व्यवस्था की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए अभियन्त्रण संवर्ग के सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता पद के ऐसे पदधारकों, जिन्हें समयमान वेतनमान की दिनांक 30 नवम्बर 2008 तक लागू रही व्यवस्था में क्रमशः 18/16 वर्ष की सेवा पर वेतनमान रू0 3700-5000/ रू0 12000-16500/समकक्ष ग्रेड वेतन रू0 7600 वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किया गया था, द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के पद का ग्रेड वेतन रू0 8700 में उच्चकृत होने के आधार पर समयमान वेतनमान में प्राप्त हो रहे वैयक्तिक ग्रेड वेतन रू0 7600 को ग्रेड वेतन रू0 8700 के स्तर पर उच्चकृत किये जाने की मांग की जा

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

रही है, जिससे इस प्रकार के प्रकरण के निस्तारण में कठिनाई आ रही है और इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

2- उपर्युक्त क्रम में राज्य में दिनांक 30 नवम्बर 2008 तक लागू रही समयमान वेतनमान एवं दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से लागू की गयी ए0सी0पी0 की व्यवस्थाओं में उच्च वैयक्तिक वेतनमान/वित्तीय स्तरान्तरण की देयता हेतु निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) शासनादेश संख्या-वे0आ0:-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर 2014 द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से लागू की गयी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के पूर्व राज्य में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के लिये समयमान वेतनमान की निम्नवत् व्यवस्थायें लागू रही हैं:-

(क) ऐसे पद जिनके वेतनमानों का अधिकतम रू0 3500 (पुनरीक्षित वेतनमानों में रू0 10500 तक जिसे पुनः संशोधित कर रू0 13500 से कम किया गया) था, उनके लिये अन्य के साथ 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर दो पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किये जाने का प्रावधान किया गया था।

(ख) ऐसे पद जिनमें प्रवेश रू0 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000-13500) या इससे उच्च वेतनमान में होता है, उनमें से कतिपय विशिष्ट संवर्ग यथा-पी0सी0एस0, पी0एम0एस0, न्यायिक एवं अभियन्त्रण संवर्ग के पदों को छोड़कर अन्य के लिये वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 27 जुलाई 1992 द्वारा 08 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर रू0 3000-4500 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 10000-15200) का वैयक्तिक वेतनमान, रू0 3000-4500 के पदों के 20 प्रतिशत पदों पर 14 वर्ष की सेवा पर रू0 3700-5000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 12000-16500)

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

का वैयक्तिक वेतनमान, रू0 3000-4500 के पदधारकों को दिये जाने एवं रू0 3000-4500 एवं रू0 3700-5000 के पदों के 15 प्रतिशत पदों पर रू0 4500-5700 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 14300-18300) का वैयक्तिक वेतनमान तीसरे लाभ के रूप में ऐसे पदधारकों को दिये जाने का प्रावधान किया गया था जो रू0 3700-5000 का पद धारित करते हों तथा इनकी संख्या रू0 3700-5000 के पदों की संख्या तक सीमित रहेगी। इस प्रकार उपर्युक्त व्यवस्था में निर्धारित समयावधि पर 03 उच्च चिन्हित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान था।

(ग) अभियन्त्रण विभागों के अभियन्त्रण संवर्ग के पदों के लिये वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 02 जनवरी 1990 द्वारा 05 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर सहायक अभियन्ता के पद धारकों को प्रथम लाभ के रूप में रू0 3000-4500 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 10000-15200) का वैयक्तिक वेतनमान, 18 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर सहायक अभियन्ता के पद धारकों को द्वितीय लाभ के रूप में रू0 3700-5000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 12000-16500) का वैयक्तिक वेतनमान तथा ऐसे सहायक अभियन्ता जो अधिशासी अभियन्ता पद पर पदोन्नत हो गये उन्हें 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर द्वितीय लाभ के रूप में रू0 3700-5000 का वैयक्तिक वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त के अतिरिक्त तीसरे लाभ के रूप में 14 वर्ष की सेवा पर रू0 4500-5700 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 14300-18300) का सेलेक्शन ग्रेड अधिशासी अभियन्ता एवं इससे ऊपर के कुल पदों की संख्या के 15 प्रतिशत परन्तु संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता पदों की सीमा तक देय था। इस प्रकार

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अभियन्त्रण संवर्ग के लिये उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था में निर्धारित समयावधि पर पदोन्नतीय पद के वेतनमान के स्थान पर 03 उच्च चिन्हित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान था। इसी प्रकार की व्यवस्था पी0सी0एस0 एवं पी0एम0एस0 संवर्ग आदि के लिये भी की गयी थी।

(2) उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग के अभियन्त्रण संवर्ग में सहायक अभियन्ता के पद से आगे पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों के ढांचें में रू0 3000-4500/ रू0 10000-15200, रू0 3700-5000/रू0 12000-16500,रू0 5100-6150/ रू0 16400-20000 एवं रू0 5900-6700/ रू0 18400-22400 के पद हैं। जबकि दिनांक 30 नवम्बर 2008 तक लागू रही समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 3000-4500/ रू0 10000-15200, रू0 3700-5000/ रू0 12000-16500, रू0 4500-5700/ रू0 14300-18300 के चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान ही देय होते हैं, जबकि अभियन्त्रण संवर्ग के पदों की श्रृंखला में रू0 3700-5000 के वेतनमान से ऊपर रू0 5100-6150 के वेतनमान का पद उपलब्ध था। जिससे स्पष्ट है कि अभियन्त्रण संवर्ग में समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पदोन्नति के पद का वेतनमान देय नहीं था, अपितु चिन्हित वेतनमान ही देय थे। यदि अभियन्त्रण संवर्ग में पदोन्नतीय पद का वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया जाता तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था में रू0 4500-5700/रू0 14300-18300 का वेतनमान स्वीकृत होने की स्थिति न बनती, अपितु पदोन्नति की श्रृंखला में उपलब्ध अगला वेतनमान रू0 5100-6150/रू0 16400-20000 देय बनता।

(3) शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्तर-2 (4) जिसे अवक्रमित किया जा चुका है एवं उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर 2014 के प्रस्तर-3 (6) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुमन्य हो चुके प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित हो जायेंगे अर्थात् उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन यथावत् बना रहेगा।

(4) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 के प्रस्तर-3 (6) की व्यवस्था ऐसे मामलों के लिये प्रभावी है जहां समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रोन्नतीय पद का वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है और प्रोन्नतीय पद का वेतनमान उच्चीकृत किया गया है। अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपरोक्तानुसार उल्लिखित विवरण के अनुसार निर्धारित सेवा अवधि पर रू0 3700-5000/रू0 12000-16500 का चिन्हित वेतनमान वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किया गया था। यह वेतनमान पदोन्नति के पद का वेतनमान होने के आधार पर देय नहीं था, अतः अधीक्षण अभियन्ता के पद का ग्रेड वेतन रू0 8700 के स्तर पर उच्चीकृत किये जाने के बावजूद सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को स्वीकृत हुए वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000/रू0 12000-16500/समकक्ष ग्रेड वेतन रू0 7600 का प्रकरण उपर्युक्त उपप्रस्तर-4 की व्यवस्था से आच्छादित नहीं होता है। इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने के आधार पर रू0 3700-5000/रू0 12000-16500/समकक्ष ग्रेड वेतन रू0 7600 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर चुके सहायक/अधिशाली अभियन्ताओं को ग्रेड वेतन रू0 8700 की देयता नहीं बनती है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वेतनमान रू0 2200-4000/रू0 8000-13500 या इससे उच्च वेतनमान में सेवा में

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रवेश करने वाले कार्मिक, जिसमें अभियन्त्रण सेवा के सहायक/अधिकासी अभियन्ता पदधारक भी सम्मिलित हैं, उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 के प्रस्तर-3 (6) की व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं और उक्त कार्मिक शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 जिसे अवक्रमित किया जा चुका है, के प्रस्तर-2(4) की व्यवस्था से भी आच्छादित नहीं थे।

भवदीय,

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव।

संख्या- 18/2015/वे0आ0-2-256(1)/दस-62(एम)/2008 टी0सी0 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित :-

- 1 महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ॥ तथा आडिट- । एवं ॥,  
उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2 प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3 प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4 महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6 निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8 उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
- 9 निदेशक, एन0आई0सी0, छां तल, योजना भवन, लखनऊ को  
शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।
- 10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।